आकाशवाणी केन्द्र शिमला

18.11.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18.00 बजे

चंद्र कुमार

कृषि मंत्री व पशु पालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में विस्तार से अधिक गुणवत्ता पर जोर दे रही है। ज्वाली विधानसभा के तहत चलवाड़ गांव में एक निजी स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूलों के साथ–साथ निजी स्कूलों ने भी शिक्षा के विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए सभी सरकारों ने काम किया है लेकिन अब शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की है ताकि बच्चे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। उन्होंने इस मौके पर स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नम्बर 1 8 0 0–1 1–7 8 0 0 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माइगॉव, नमो एप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

आरक्षण

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में समाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है। इसका उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है। प्रवक्ता ने कहा कि वंचित वर्गों और विशेष समूह के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र होंगे और स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

विंटर कार्निवाल

शिमला विंटर कार्निवाल इस बार 24 दिसम्बर से 2 जनवरी तक आयोजित होगा। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि विंटर कार्निवाल के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इस बार विंटर कार्निवाल दस दिन का होगा और इस दौरान शिमला घूमने आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को राज्य की विविध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। महापौर ने कहा कि विंटर कार्निवाल को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक का एक दौर पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार कार्निवाल के उपलक्ष्य में एक सोविनियर भी प्रकाशित किया जाएगा जिसमें शिमला शहर के इतिहास की जानकारी उपलब्ध होगी।

मस्ज़िद मामला

राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने के नगर निगम की अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के मामले पर आज शिमला की जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के वकील ने पूरे मामले को फिर से नगर निगम आयुक्त के पास सुनवाई के लिए भेजने की मांग की ताकि इस मामले को फिर से ध्यान से सुना जा सके। मुस्लिम पक्ष के अभिवक्ता विश्व भूषण ने कहा

कि जिला अदालत ने इस मामले में वक्फ बोर्ड से हल्फनामा मांगा है। हल्फनामे में ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ को अपना अधिकृत प्रतिनिधि घोषित किया था या नहीं। मामले पर अगली सुनवाई 22 नवम्बर को होगी।

रामकृष्ण मिशन

रामकृष्ण मिशन शिमला के सचिव तन्महिमानंद ने शिमला के पुलिस अधीक्षक पर रामकृष्ण मिशन मंदिर में हुई हिंसक घटना को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। तन्महिमानंद ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमालय ब्रहम समाज का कोलकता में शुरू हुए ब्रहम समाज से कोई नाता नहीं है और हिमाचल का ब्रहम समाज स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला रामकृष्ण मिशन मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश का है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वे भू–माफिया से जुड़े हुए हैं। तन्महिमानंद ने ये भी कहा कि इस हिंसक घटना के बावजूद प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ काई कार्रवाई नहीं की।